आमजन की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर द्वारा तहसील स्तरीय विशेष जनसुनवाई आज से प्रारम्भ

तहसील थांदला में कलेक्टर द्वारा विशेष जनसुनवाई आयोजित

थांदला, (मनोज उपाध्याय)› आमजन की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर नेहा मीना द्वारा पुनः से तहसील स्तरीय विशेष जनसुनवाई प्रारम्भ की गई। कलेक्टर नेहा मीना द्वारा मंगलवार को तहसील थांदला में प्रातः 11 बजे से विशेष जनसुनवाई आयोजित की गई। इस विशेष जनसुनवाई में विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 56 आवेदन प्राप्त हुए, जिन पर कलेक्टर द्वारा संवेदनशीलता के साथ सुनवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश दिए गए।

जनसुनवाई के दौरान पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय थांदला (झाबुआ-2) के समीप नगर परिषद थांदला द्वारा स्थापित ट्रेंचिंग/डंपिंग ग्राउंड के कारण विद्यार्थियों को हो रही गंभीर समस्याओं के संबंध में पालकगण द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया। आवेदकों ने बताया कि डंपिंग ग्राउंड से उत्पन्न दुर्गंध एवं अस्वच्छता का बच्चों के स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति, शैक्षणिक प्रदर्शन एवं दैनिक जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इस पर कलेक्टर ने सीएमओ नगर परिषद को निर्देशित किया कि ट्रेंचिंग/डंपिंग ग्राउंड को शीघ्र हटाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

आवेदक श्री गोपाल पिता रमेश, ग्राम खजुरी तहसील थांदला द्वारा उनके पुत्र राज गोपाल द्वारा राष्ट्रीय मेरिट कम मीन (एनएमएमएस) परीक्षा उत्तीर्ण करने के बावजूद छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होने के संबंध में

आवेदन प्रस्तुत किया गया। कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि छात्रवृत्ति लंबित रहने के कारणों की जांच कर समाधान सहित विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

इसी क्रम में श्री बलु पिता पिदिया डामोर, गोरिया खांदन तहसील थांदला द्वारा प्राथमिक शाला एवं आंगनवाड़ी भवन के समीप स्थित हैंडपंप के खराब होने पर मरम्मत कराए जाने हेतु आवेदन दिया गया। श्री दिवान पिता बाबु अमलियार, निवासी बोरडी तहसील थांदला द्वारा शौचालय प्रोत्साहन राशि के भुगतान के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया गया।

ग्राम पंचायत उदयपुरिया तहसील थांदला के ग्रामवासियों द्वारा सिब्बल फलिये में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़क निर्माण कार्य स्वीकृत कर प्रारंभ कराए जाने हेतु आवेदन दिया गया। वहीं श्री दिलीप माईडा, निवासी छोटी धामनी द्वारा परंपरागत रास्ते पर अतिक्रमण कर विवाद उत्पन्न किए जाने के संबंध में अतिक्रमण हटाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

इसके अतिरिक्त सरपंच ग्राम पंचायत भैरूगढ़ द्वारा भाभर फलिये एवं नई बस्ती में पेयजल की समस्या के समाधान हेतु नवीन हैंडपंप खनन कराए जाने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया गया। श्री अर्जुनसिंह पिता भूरा पारगी, निवासी थांदला द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया गया।

इधर, जिला मुख्यालय पर अपर कलेक्टर श्री सी.एस. सोलंकी द्वारा आयोजित जनसुनवाई में कुल 32 आवेदन प्राप्त हुए, जिन पर संबंधित विभागों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए।

जनसुनवाई के दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री जितेन्द्रसिंह चौहान, सहायक कलेक्टर श्री आशीष कुमार, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व थांदला श्री महेश मंडलोई सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

गणतंत्र दिवस को लेकर बैठक हुई संपन्न

निवाली गणतंत्र दिवस को लेकर जनपद सभा ग्रह में गणतंत्र दिवस मनाने हेतु बैठक का आयोजन किया गया जिसमें जनपद परिसर में गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम को आयोजित करने का निर्णय लिया गया उक्त कार्यक्रम में नगर की निजी एवं शासकीय स्कूलों के छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जाएगी साथ ही उक्त कार्यक्रम में प्रत्येक विभागों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों के सहित शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करने को सम्मानित किया जाएगा इस कार्यक्रम में जनपद सीईओ विरल पटेल ,तहसीलदार कार्तिक मोर्य ,सीएमओ रूपसिंह सोलंकी ,बीईओ विनोद पाटीदार बीआरसी महेंद्र राठौड़ ,केतराम ब्राह्मणे ,कन्हैया सिसोदिया , जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि चतरसिंह पटेल ,जनपद उपाध्यक्ष पठान किराड़े,रूपेश पीपलोदे, नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि नरेंद्र सिसोदिया ,अखिलेश सोनी सहित नगर के गणमान्य नागरिक सहित जनपद के कर्मचारी उपस्थित रहे

भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा फॉर्म 7 का गलत तरीके से उपयोग कर लोगों के नाम कटवाने का षड्यंत्र चल रहा है जो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता - हरपाल ठाकुर

आष्टा । चुनाव आयोग द्वारा चलाई जा रही है एस आई आर प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस के अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग एवं माइनॉरिटी के मतदाताओं को चिन्हित कर उनके नाम पर फार्म 7 भरकर आपत्ति दर्ज कराई जा रही है ताकि उन लोगों के नाम मतदाता सूची में आने से वंचित रह जाए।

भाजपा कार्यकर्ताओं के षड्यंत्र के खिलाफ कांग्रेस नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष जितेंद्र शोभाखेड़ी एवं नगर अध्यक्ष जाहिद गुड्डू की अगुवाई में आष्टा रिटर्निंग ऑफिसर नितिन टाले से मिला और जिस प्रकार से भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जिन लोगों की पूर्व में एस आई आर के तहत मैपिंग हो चुकी है उन लोगों के नाम कटवाने के लिए फार्म 7 भरकर आपत्ति ली जा रही है और साथ ही शासकीय बी एल ओ पर दबाव बनाया जा रहा है कि उनकी गलत आपत्ति को भी सही मानकर नाम काटे जाएं इस पूरी प्रक्रिया पर एसडीएम आष्टा ने विश्वास दिलाया है कि किसी का भी नाम

गलत तरीके से नहीं काटा जाएगा उपरोक्त अवसर पर अखिल भारतीय कांग्रेस सदस्य हरपाल ठाकुर ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं को ऊपर से निर्देश है कि प्रत्येक बूथ पर 40 - 50 ऐसे मतदाता चिन्हित किया जाए जो कांग्रेस के मतदाता हो और वह गरीब अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्यक वर्ग से आता हो के नाम पर फार्म 7 भरकर आपत्ति दर्ज करा कर उनको अंतिम मतदाता सूची से नाम कटवाने का काम करें ताकि भविष्य में उनकी पार्टी के पक्ष में परिणाम आ सके हरपाल ठाकुर ने आगे कहा कि भाजपा के लोग इस प्रकार सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं जैसे वह अब कभी सरकार से बाहर जाने वाले नहीं है सभी शासकीय बी एल ओ साथियों को दबाव में आने की आवश्यकता नहीं है और किसी का भी नाम गलत तरीके से नहीं काटे उपरोक्त अवसर पर पूर्व ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र शोभा खेड़ी ने कहा कि भाजपा द्वारा फार्म 7 मतदाताओं को चिन्हित कर प्रिंट करवा कर बांटे गए हैं जो आपत्ति लगाने वाले को सिर्फ अपना नाम उसमें भरना है और उसे जमा करना है जिसके नाम पर आपत्ति है वह पहले से फार्म के अंदर प्रिंट है इसका मतलब योजनाबंध तरीके से ऊपर से ही मतदाता चिन्हित कर लिए गए हैं जिनके नाम कटवाना है भाजपा का यहां षड्यंत्र लोकतंत्र विरोधी है जो देश के नागरिकों को अपने वोट देने का अधिकार से वंचित किया जा रहा है उपरोक्त अवसर पर एआईसीसी सदस्य हरपाल ठाकुर , पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र शोभाखेड़ी, जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष गुलाब बाई ठाकुर, नगर कांग्रेस अध्यक्ष जाहिद खान गुड्डू, खालिद पठान, सन्नवर खान, घनश्याम जांगड़ा आदि कांग्रेस जन मौजूद रहे।

ग्रामोदय से अभ्युदय तक अभियान के तहत निनावटखेडा में पखवाडे के रूप में मनाया गया

विभिन्न गतिविधियों के साथ नशा मुक्ति एवं पर्यावरण संरक्षण की शपथ ली गई

नागदा जं. निप्र। ग्रामोदय से अभ्युदय तक मध्य प्रदेश अभियान के अंतर्गत बेरछा सेक्टर की नवांकुर संस्था झांझाखेड़ी ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति द्वारा शासकीय प्राथमिक विद्यालय निनावटखेड़ा परिसर में पखवाड़ा मनाया गया। कार्यक्रम ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति अटलावदा के सहयोग से आयोजित हुआ।

कार्यक्रम में रंगोली, चम्मच रेस एवं दौड़ प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिनमें बालिकाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतियोगिताओं के विजेताओं को 26 जनवरी 2026 के गणतंत्र दिवस समारोह में सम्मानित किया जाएगा। रंगोलियों का निरीक्षण ग्राम पंचायत अटलावदा के सरपंच प्रकाश जी गुर्जर एवं ग्रामीणों ने किया।

इस अवसर पर ग्राम विकास पशुपालन समिति अटलावदा के अध्यक्ष पप्पू शर्मा, सचिव परमेश्वर शर्मा, सदस्य गोवर्धन लाल, प्रकाश, प्रभु लाल, चेनुराम, भरतलाल, किशन सिंह उपस्थित रहे। सभी अतिथियों व ग्रामीणों ने नशा मुक्ति की शपथ ली तथा एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया गया।

पर्यावरण संरक्षण पर परामर्शदाता विक्रम सोलंकी ने संदेश दिया। बच्चों द्वारा हनुमान मंदिर से स्कूल भवन तक जल संरक्षण रैली निकाली गई। कार्यक्रम में शाला स्टाफ, ग्राम पंचायत सरपंच, पंच, नागदा लक्की शिक्षण समिति अध्यक्ष सुरेश माली मौजूद रहे। उक्त जानकारी भगवान सिंह डोडिया ने दी।

वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ के साथ अन्य राज्य भी अस्तित्व आए उन राज्यो के पेशनरो को बिना सहमति केंद्र के समान डी ए मिल रहा है सिर्फ मध्य प्रदेश के पेंशनरो के साथ भेदभाव क्यों-चतुर्वेदी

नागदा जं. निप्र। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत नए राज्यों के रूप में मध्य प्रदेश से 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से 9 नवंबर 2000 को उत्तराचल और बिहार से 5 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य अस्तित्व में आए।

मध्य प्रदेश को छोड़कर अन्य राज्य एक दूसरे राज्य की सहमति के बिना केंद्र के समान महंगाई भत्ता का भुगतान हो रहा है सिर्फ मध्य प्रदेश एक मात्र ऐसा राज्य है जहां छत्तीसगढ़ सरकार की सहमति की जरूरत महसूस करती है। मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष स्वरूप नारायण चतुर्वेदी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की छठवीं अनुसूची की धारा 49/6 में पेशनरो के संबन्ध में जिम्मेदारी के विभाजन की बात का उल्लेख है जिस का मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गलत व्याख्या कर गत 25 वर्षो से मध्य प्रदेश के पाच लाख पेशनरो के साथ भेदभाव पूर्ण नीति अपनाई जा रही है जो सरासर अन्याय पूर्ण है।

चतुर्वेदी ने पत्र में इस और भी ध्यान दिलाया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों व पेशनरो तथा मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को 55 प्रतिशत डीए दिया जा रहा है सिर्फ मध्य प्रदेश में ही पेशनरो को कम डीए मिल रहा है जबकि पुनर्गठित राज्य उत्तरांचल, झारखंड के पेशनरो को दोनों राज्यों की सरकार की परस्पर सहमति लिए बिना लगातार भुगतान समय पर हो रहा है। एक मात्र मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां 5 लाख पेंशनर है इसे एक लाख पेंशनर वाले राज्य छत्तीसगढ़ से डी ए देने की अनुमति लेना पड़ रही है यह एक विचारणीय है। आश्चर्य इस बात का है कि डा मोहन यादव जी को तो भली भांति मालूम है कि पाच लाख पेशनरो का एक मात्र सहारा पेशन ओर उस पर मिलने वाला महगाई भत्ता है महंगाई कै इस दौर में अपने पारिवारिक और सामाजिक दायित्वों को निभाने में एक मात्र पेंशन और डी ए का ही तो सहारा है यदि इससे भी वंचित कर दिया जाता है तो यह न्यायोचित नहीं माना जा सकता है । पेशनरो को भी केन्द्र व राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान व महंगाई भत्ता दे ने के आदेश प्रदान कर धारा 49/6 को विलोपित करने का उचित निर्णय ले तो न्याय संगत होगा।

बगैर जांच करे थोकबंद आपत्तियों को ऑनलाईन चढाने हेतू बीएलओ पर दबाव

पूर्व विधायक गुर्जर ने रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के मौखिक आदेश को निरस्त करने की मांग

नागदा जं. निप्र। नागदा-खाचरौद विधानसभा क्षेत्र में 23 दिसम्बर 2025 को प्रकाशित ड्राफ्ट मतदाता सूची पर वैध मतदाताओं के नाम काटने को लेकर पूर्व विधायक दिलीपसिंह गुर्जर ने रजिस्ट्रीकरण अधिकारी श्रीमती नेहा साहू को पत्र प्रेषित कर आरोप लगाया है कि वैध मतदाताओं के नाम काटने के उद्देश्य से प्ररूप-7 के अंतर्गत थोकबंद आपत्तियाँ दी गई हैं, जिनकी बिना निष्पक्ष जांच किए बीएलओ पर दबाव बनाकर उन्हें ऑनलाइन चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने के मौखिक निर्देश देकर डराया, धमकाया जा रहा है।

बीना जांच के 5 हजार मतदाताओं के नाम हटाने का बना रहे दबाव

पूर्व विधायक गुर्जर ने अपने पत्र में कहा है कि बीएलओ द्वारा सत्यापन के पश्चात प्रकाशित ड्राफ्ट मतदाता सूची पर 4-5 भाजपा पदाधिकारियों द्वारा लगभग 5000 से अधिक वैध मतदाताओं के नाम विलोपित कराने हेतु आपत्तियाँ प्रस्तुत की गई हैं। इन आपत्तियों की जाँच किए बिना बीएलओ को यह कहा जा रहा है कि वे सभी आपत्तियाँ ऑनलाइन अपलोड कर दें, जिससे संबंधित मतदाताओं के नाम स्वतः मतदाता सूची से कट जाएंगे जो लोकतांत्रिक अधिकारों का सीधा हनन है।

प्ररूप-7 की निष्पक्ष जांच करे प्रशासन

पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि मतदाता सूची की निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए प्रत्येक प्ररूप-7 आपत्ति की विधिवत जाँच अनिवार्य है। यदि जाँच में आपत्तियाँ सही पाई जाती हैं तो संबंधित बीएलओ के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, वहीं यदि आपत्तियाँ झूठी या दुर्भावनापूर्ण पाई जाती हैं तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 का 43 की धारा 31 एवं संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत आपत्तिकर्ताओं के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए।

पूर्व विधायक गुर्जर ने रजिस्ट्रीकरण अधिकारी से मांग की है कि बिना जाँच के आपत्तियाँ ऑनलाइन अपलोड कराने संबंधी बीएलओ को दिए गए मौखिक आदेशों को तत्काल निरस्त किया जाए और प्राप्त सभी आपत्तियों की निष्पक्ष व पारदर्शी जाँच कराई जाए। जाँच में जो मतदाता वैध पाए जाएँ, उनके नाम मतदाता सूची में यथावत रखे जाएँ।

निर्वाचन आयोग तक भेजी गई शिकायत

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, भोपाल तथा जिला निर्वाचन अधिकारी, उज्जैन को भी प्रेषित की है। अब देखना होगा कि निर्वाचन प्रशासन इस शिकायत पर क्या कार्रवाई करता है और मतदाता सूची की शुचिता सुनिश्चित करने के लिए कौन से कदम उठाए जाते हैं।

चम्बल नदी प्रदूषण पर किसान यूनियन का आक्रोश, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

नागदा जं. निप्र। उद्योगों एवं एसिड माफियाओं द्वारा चम्बल नदी में खतरनाक हजारडस्ट रासायनिक एसिड एवं बिना ट्रीटमेंट किए रसायनिक अपशिष्ट छोड़े जाने पर रोक लगाने तथा दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन मंच ने जनसुनवाई में एसडीएम नागदा को ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन प्रदेश अध्यक्ष कवि देव सिंह गुर्जर के नेतृत्व में दिया गया। ज्ञापन में बताया गया कि उद्योगों द्वारा गंदे नालों के माध्यम से रसायनिक प्रदूषित पानी तथा एसिड माफियाओं द्वारा टैंकरों से वेस्टेज रसायन नदी व नालों में छोड़े जा रहे हैं, जिससे चम्बल नदी सहित आसपास के 14 गांवों का भूजल

प्रदूषित हो रहा है और भूमि बंजर होती जा रही है। ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर भी गंभीर असर पड़ रहा है। किसान यूनियन ने एसिड माफियाओं पर तत्काल कार्रवाई की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि शीघ्र ठोस कदम नहीं उठाए गए तो संगठन को जनहित में आंदोलन करना पड़ेगा।

ज्ञापन सौंपते समय जिला अध्यक्ष व जनपद उपाध्यक्ष प्रतिनिधि देवीलाल चन्द्रवंशी, सरपंच प्रकाश गुर्जर, गोपाल सिंह गुर्जर, परमारखेड़ी युवक कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष रवि पटेल, रजला विक्रम गुर्जर, रवि डोडिया, राहुल बना गुराडिया सहित किसान साथी व ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

चम्बल पुल निर्माण को लेकर पूर्व विधायक गुर्जर ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

दो बार मुख्यमंत्री द्वारा शिलान्यास, फिर भी पुल का टेण्डर आमंत्रित नहीं

नागदा जं. निप्र। निनावटखेडा से किलोडिया के मध्य चम्बल नदी पर प्रस्तावित पुल के निर्माण हेतु 19 करोड़ रुपये का टेण्डर शीघ्र आमंत्रित किए जाने की मांग को लेकर पूर्व विधायक दिलीपसिंह गुर्जर ने मुख्यमंत्री को पत्र प्रेषित किया है।

पूर्व विधायक गुर्जर ने पत्र में उल्लेख किया कि शासन के पत्र क्रमांक 1707 दिनांक 24 जून 2021 के माध्यम से नागदा-गिदगढ-निनावटखेडा-चंदोडिया से तारोद-मोकडी 25 किमी मार्ग को एमपीएमडीआर 26-27 जिला मार्ग घोषित किया गया था जिसके निर्माण हेतु वर्ष 2023-24 के प्रथम अनुपूरक बजट में 31.25 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी। इस योजना में निनावटखेडा से किलोडिया के मध्य चम्बल नदी पर पुल निर्माण भी सम्मिलित था।

पूर्व विधायक गुर्जर ने कहा है कि रोड व पुल का भूमिपूजन तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराजजी चौहान द्वारा 20 जुलाई 2023 को व दुसरी बार मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा 13 अक्टुबर 2024 को किया गया। रोड के टेण्डर तो विभाग द्वारा आमंत्रित कर लिए गए थे परंतु चम्बल नदी पर 19 करोड की लागत से बनने वाले पुल के निर्माण हेतू टेण्डर अभी तक आमंत्रित नही किए गए है। रोड व चम्बल नदी पर ब्रिज का निर्माण होने से नागदा-खाचरौद तहसील में आने-जाने हेतू एक नये रास्ते का निर्माण होगा जिससे कि 50 से अधिक ग्रामवासियों को फायदा होगा।

पूर्व विधायक गुर्जर ने बताया कि रोड व पुल निर्माण का शिलान्यास तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान द्वारा दिनांक 20 जुलाई 2023 को विकास यात्रा के दौरान मुक्तेश्वर महादेव मंदिर नागदा पर हुए कार्यक्रम में किया गया था निर्माण कार्य प्रारंभ न होने के संबंध में हरदा विधायक डॉ. रामकिशोर दोगने द्वारा दिनांक 13 फरवरी 2024 को विधानसभा में प्रश्न उठाया था जिसपर लोक निर्माण मंत्री राकेशसिंह जी ने बताया था कि मुख्यमंत्री चौहान द्वारा भूमिपूजन किया गया था उपरांत ही प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर 25 किमी सडक मार्ग के टेण्डर आंमत्रित किए गए थे जिसका निर्माण कार्य भी 50 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है उक्त रोड जिला मार्ग होने से पहले टु-लेन थी परंतु रोड की चौडाई कम कर दी गई है वही पुल के टेण्डर अभी तक आमंत्रित नही किए गए है यदि रोड निर्माण के साथ पुल निर्माण के टेण्डर आमंत्रित किए जाते तो पुल निर्माण भी प्रारंभ हो जाता। शासन का ध्यान आकर्षित करने हेतू आगामी विधानसभा सत्र में कांग्रेस विधायकों के माध्यम से पुल के टेण्डर आमंत्रित करने की मांग उठायी जाएगी।